

राजस्थान—सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: राजपत्रित / ट्रेनिंग / 2009 /

दिनांक :

—: आदेश :—

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना इनस्टिट्यूशनल एरिया, दूरदर्शन के पास, जयपुर द्वारा आयोजित दिनांक 24.02.09 से 09.03.09 तक Foundation Course हेतु निम्न चिकित्सा अधिकारियों को मनोनित किया जाता है :—

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदस्थापन स्थान
1.	डॉ. सुरेश बीरबल	प्रा०स्वा०केन्द्र, झाडोल सराडा (उदयपुर)
2.	डॉ. मुकेश कुमार गुप्ता	प्रा०स्वा०केन्द्र, खण्डप (बाडमेर)
3.	डॉ. हरिश कुमार मोर्य	सामु०स्वा०केन्द्र, सोजतरोड (पाली)
4.	डॉ. जितेन्द्र शेखर	प्रा०स्वा०केन्द्र, डेहरा शाहपुरा (अलवर)
5.	डॉ. जितेन्द्र पाल	सामु०स्वा०केन्द्र, मालाखेड़ा (अलवर)
6.	डॉ. भूमिका पाठक, चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र, जिन्दौली (अलवर)
7.	डॉ. कविता खण्डेलवाल, चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र, छोटीसरवन (बांसवाडा)
8.	डॉ. लक्ष्मी अग्रवाल, चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र, परानिया (बांरा)
9.	डॉ. नरेन्द्र चौधरी, चि०अ०	सामान्य चिकित्सालय बालोतरा (बाडमेर)
10.	डॉ. मोनिका शेखावत, चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र, रेराह (भरतपुर)
11.	डॉ. दीपमाला नाहर, चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र, मोखुन्दा (भीलवाडा)
12.	डॉ. अर्चना रहेला, चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र, दूदवाखारा (चुरू)
13.	डॉ. अनिल शर्मा, चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र, फफाना (हनुमानगढ़)
14.	डॉ. सविता रिणवा, चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र, गांधीबड़ी (हनुमानगढ़)
15.	डॉ. अमर सिंह, चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र, देवीकोट (जैसलमेर)
16.	डॉ. मण्गाराम परिहार, चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र, रामदेवरा (जैसलमेर)
17.	डॉ. रघित गुप्ता, चि०अ०	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ के अधीन
18.	डॉ. सुनिता सिहाग, चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र, बनगोठडी (झुन्डुनू)
19.	डॉ. जगराम मीणा, चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र, फलौदी (जोधपुर)
20.	डॉ. कविता उज्जैनिया, चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र, साईपुर (करौली)
21.	डॉ. अजित सिंह, चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र, गोटन (नागौर)
22.	डॉ. ब्रह्म प्रकाश त्रिपाठी, चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र, सालमगढ़ (प्रतापगढ़)
23.	डॉ. दिनेश कुमार, चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र, थाडा (प्रतापगढ़)
24.	डॉ. सुनिता मीणा, चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र, सिवाड (सवाईमाधोपुर)
25.	डॉ. भारतभूषण सिधाना, चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र, लादूवाला (श्रीगंगानगर)
26.	डॉ. रेखा गुप्ता, चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र, डिग्गी (टॉक)
27.	डॉ. विक्रम सिंह मीणा, ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र विजयनगर (अजमेर)
28.	डॉ. लोकेन्द्र कुमार यादव, ग्रा०चि०अ०	सेटेलाइट हॉस्पीटल शाहपुरा (भीलवाडा)
29.	डॉ. जगदीश प्रसाद, ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र कुचामन सिटी (नागौर)
30.	डॉ. रामराय शर्मा, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र डारडातुर्की (टॉक)
31.	डॉ. पवन कुमार, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र पुगल (बीकानेर)
32.	डॉ. नरेन्द्र चौधरी, ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र सरदारशहर (चुरू)
33.	डॉ. नीरज सक्सेना, ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र चुण्डावड (श्रीगंगानगर)
34.	डॉ. सरिता अरोड़ा, ग्रा०चि०अ०	सामु०स्वा०केन्द्र भादरा (हनुमानगढ़)
35.	डॉ. वेदन्ती सिंह, ग्रा०चि०अ०	प्रा०स्वा०केन्द्र दुधारी (बून्दी)

उक्त सभी चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रोग्राम में भाग लेने हेतु
दिनांक 23.02.09 को सायं निर्धारित स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवायें अन्यथा श्रीमान्

प्रमुख शासन सचिव महोदय के पत्र क्रमांक: पं.(6)ट्रेनिंग(पीएल.2)आरएचएसडीपी/2007/4405
दिनांक 14.6.07 के अनुसरण में प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर प्रशिक्षण राशि उनके वेतन से
वसूली की जावेगी एवं सी.सी.ए. नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही भी प्रस्तावित की जावेगी, जिसकी
समस्त जिम्मेदारी स्वयं की होगी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उक्त नमोनित
प्रशिक्षणार्थी को विशेष कठिन परिस्थिति होने पर उनके स्थान पर दूसरे चिकित्सक को मनोनित
करेंगे जिसने पूर्व में यह प्रशिक्षण नहीं लिया हो, साथही प्रशिक्षण में जाने वाले चिकित्सक को
यह भी निर्देशित करावे कि प्रशिक्षण के दौरान केवल प्रशिक्षणार्थी हेतु ही आवास व्यवस्था की
गई है इसलिए अन्य (पारिवारिक सदस्य/मित्र को भी) किसी को भी वहां ठहरने की अनुमति
नहीं दी जावेगी।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: राजपत्रित /ट्रेनिंग/2009/७७

दिनांक : १७/५/०९

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, प्रोजेक्ट निदेशक, आर.एच.एस.डी.पी., मुख्यालय।
3. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना इनस्टिट्यूशनल एरिया,
दूरदर्शन के पास, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 5229 दिनांक 17.12.08 के क्रम में
भेजकर लेख है कि प्रशिक्षण में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों की सूचना एवं प्रशिक्षण में
अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों की सूचना भिजवावे ताकि उनके विरुद्ध
अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकें।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन।
5. सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
6. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजकर लेख है कि आपके अधीन
कार्यरत उक्त चिकित्सक को उक्त प्रशिक्षण में दिन 23.2.09 को सांय प्रशिक्षण स्थल पर
उपस्थित होने हेतु निर्देशित करते हुये कार्य मुक्त करें।
7. सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. प्रभारी, सरवर कम्प्यूटर रूम, मुख्यालय को आदेश की प्रति भिजवाकर लेख है कि उक्त
आदेश को इन्टरनेट एवं जिला मुख्यालय संबंधित की वेबसाइट पर तुरन्त डिलाने का
श्रम करें।
9. आदेश पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर।